पर बहस सुनी जावेगी।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

17/5/18 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अभिभाषक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए बहस की। प्रार्थना पत्र में यह निवेदन किया गया कि आराजी खसरा नं० 204 रकबा 0.72 हैक्टेयर में से 1/15 भाग प्रार्थिया की खातेदारी की भूमि है जिसमें प्रार्थिया को नया रास्ता चाहिए। जो रास्ता खसरा नं० 218 की दक्षिण डोल से 14 फुट चौड़ा होना चाहिए। यह प्रार्थिया का सुखाधिकार है। जवाब में अप्रार्थिया के अभिभाषक ने विस्तृत जवाब पेश किया व दस्तावेज पेश किये। जमाबंदी सम्वत 2069 से 72 की खाता संख्या 160 में प्रार्थिया के नाम का अंकन नहीं है। बयनामें के अवलोकन से खसरा नं० 204 में प्लाट नम्बर-2 प्रार्थिया का दर्शाया गया है तथा अप्रार्थिया द्वारा जो नक्शा पेश किया गया है उसमें खसरा नं० 202 व खसरा 204 की एक ही डोल है। चूंकि खसरा नं० 202 में भी कोई रास्ता अंकित नहीं है। खसरा नं० 202 से लगती हुई मौके रूप आबादी बताई गई है। खसरा नं 218, 204, 206 की डोल लगती हुई है। इसलिए खसरा नं 204 का खातेदार खसरा नं० 202 से रास्ता यदि प्राप्त करे, तो बदले भूमि आसानी ली व दी जा

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी.ओ.

सकती है। इसलिए प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र प्राइमाफेसाई साबित नहीं है क्योंकि प्रार्थिया खातेदार नहीं है क्योंकि प्रार्थिया द्वारा खसरा नं० 204 के असल खातेदार से मात्र प्लाट खरीदा है। और उसको रास्ता देने का दायित्व असल खातेदार का दायित्व बनता है। वैसे भी कानूनन अप्रार्थीया गण आराजी खसरा नं० 218 की रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। ऐसी स्थिति में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थिया व अप्रार्थीया द्वारा पेश किये दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि खसरा नं 204 में प्रार्थिया ने प्लाट नं० 2 खरीद किया था जो पत्रावली में बयनामा संलग्न है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 A का प्रावधान केवल खातेदारी जमीन में पहुँचने के लिए किसी अन्य से रास्ता लेने की प्रार्थना की जा सकती है। प्रार्थिया रिकार्डेड खातेदार नहीं है। ऐसी सूरत में RTA की धारा 251-A के प्रावधान इन पर लागू नहीं होते हैं। इसलिए प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र प्राइमाफेसाई साबित नहीं है क्योंकि ये रिकार्डेड खातेदार काश्तकार नहीं हैं इसलिए बैलेन्स आफ कन्वीनैन्स व ना पूर्ति होने वाली क्षति का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्थगन आदेश दिनांक 12/2/2018 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

7/3/2018

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner